

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/1897 /

जबलपुर, दिनांक 08/05/2020
06

श्री गुलाब राव मोरले, जुडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को रिसीट अनुभाग में कार्यरत रहते हुये प्रकरण रिट पिटीशन क्रमांक 20840/17 (श्रीमती शकुंतला विरुद्ध म.प्र. राज्य एवं अन्य) के अतिआवश्यक अभिलेख जो कि प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्या.) महोदय को संबोधित थे, दिनांक 18.11.2019 को प्राप्त कर, अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं एडमिनिस्ट्रेटिव (ऑफि.) (रिसीट) के जानकारी में लाये बिना पोस्टमैन को इस निर्देश के साथ कि, उक्त डाक मुख्यपीठ जबलपुर से संबंधित नहीं है, अतः डाक खण्डपीठ ग्वालियर को वापस प्रेषित करने हेतु Redirect करने की त्रुटि करने एवं रजिस्ट्री कारण बताओ नोटिस क्रमांक ए/231, जबलपुर दिनांक 31.01.2020 का जवाब दिनांक 04.02.2020 स्वीकार योग्य न पाये जाने के फलस्वरूप आपको उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश सेवा (भर्ती, सेवा की सामान्य शर्तें, आचरण, वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 2017 के नियम 16(1) सहपठित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1968 के नियम 10(एक) के अंतर्गत लघुशास्ति "परिनिंदा" (Censure) के दंड से दंडित करते हुये चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि होने पर उसे गंभीरता से लिया जावेगा।


051061mvo

(राजेन्द्र कुमार वाणी)


रजिस्ट्रार जनरल

जबलपुर, दिनांक 08/05/2020
06

पृष्ठांकन क्रमांक B/1898 /

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशासन/आई.एल./न्यायिक 1 एवं 2, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
2. एस.पी.एस.ए आई.टी. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर आदेश की प्रति उच्च न्यायालय म.प्र. की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु,
3. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. रजिस्ट्रार (एम.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. असिस्टेंट रजिस्ट्रार (ई.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
6. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्था./पेंशन/न्यायिक, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर.
8. सहायक स्थापना/सेवा पुस्तिका, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर.
9. दो अतिरिक्त प्रति सहित ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
10. श्री गुलाब राव मोरले, जुडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(श्याम बिहारी वर्मा)
रजिस्ट्रार (इंस्पेक्शन)
रिज


उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/1899 /

जबलपुर, दिनांक 08/05/2020

श्री गुलाब राव मोरले, जुडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को रिसीप्ट अनुभाग में कार्यरत रहते हुये प्रकरण सी.ओ.एन.सी. क्र. 1270/2019 (अरूण पाल विरुद्ध वंदना शर्मा एवं अन्य) से संबंधित प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर का पत्र दिनांक 17.09.2019 जो कि उक्त प्रकरण के पुर्ननिर्माण की अनुमति प्राप्त किये जाने से संबंधित था, दिनांक 27.09.2019 को प्राप्त करने के उपरांत उसे बिना कार्यवाही किये अत्यधिक विलंब से अर्थात् दिनांक 03.12.2019 को प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक) महोदय के कार्यालय को प्रेषित करने की त्रुटि करने तथा रजिस्ट्री कारण बताओ नोटिस क्रमांक ए/299, जबलपुर दिनांक 11.02.2020 के संबंध में प्रस्तुत जवाब दिनांक 17.02.2020 स्वीकार योग्य न पाये जाने के फलस्वरूप आपको उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश सेवा (भर्ती, सेवा की सामान्य शर्तें, आचरण, वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 2017 के नियम 16(1) सहपठित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(एक) के अंतर्गत लघुशास्ति "परिनिंदा" (Censure) के दंड से दंडित करते हुये सलाह दी जाती है, कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि होने पर उसे गंभीरता से लिया जावेगा।


(राजेंद्र कुमार वाणी)


रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक B/1900 /

जबलपुर, दिनांक 08/05/2020

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशासन/आई.एल./न्यायिक 1 एवं 2, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
2. एस.पी.एस.ए आई.टी. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर आदेश की प्रति उच्च न्यायालय म.प्र. की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु,
3. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. रजिस्ट्रार (एम.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. असिस्टेंट रजिस्ट्रार (ई.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
6. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्था./पेंशन/न्यायिक, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
8. सहायक स्थापना/सेवा पुस्तिका, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
9. दो अतिरिक्त प्रति सहित ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
10. श्री गुलाब राव मोरले, जुडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(श्याम बिहारी वर्मा)
रजिस्ट्रार (इंस्पेक्शन)